

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- संचाल -

विषय :- बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण/दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) की स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना का गठन, ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति तथा एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों यथा सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक इत्यादि को खाद्यान्न के वैज्ञानिक पद्धति से गोदामों में भंडारण हेतु प्रशिक्षण एवं खाद्यान्न वितरण में उच्च कोटि के प्रबंधन की आवश्यकता एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के माध्यम से चयनित होने वाले बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों को विभागीय कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण एक प्रशिक्षण संस्थान के गठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि सहायक प्रबंधक/गुणवत्ता नियंत्रक/बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदानित खाद्यान्न की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए सुव्यवस्थित तरीके से पात्र लाभुकों को ससमय गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मुहैया कराया जा सके।

2. राज्य में खाद्यान्न के उत्पादन में सतत वृद्धि के फलस्वरूप खाद्यान्न के अधिप्राप्ति के पश्चात् उसके भंडारण एवं संरक्षण हेतु अनुसंधान की सुविधा को विकसित करने एवं उच्च कोटि के प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिससे किसानों को उनके द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का उचित मूल्य मिल सके एवं उनके आय में वृद्धि हो सके तथा राज्य में उत्पादित खाद्यान्नों का राज्य में ही समुचित उपयोग करने के लिए भंडारण, प्रबंधन एवं वितरण करने के लिए एक सक्षम प्रणाली विकसित की जा सके।

3. भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू किये जाने के पश्चात् उक्त अधिनियम को राज्य में 01 फरवरी, 2014 से लागू किया गया। साथ ही समानांतर रूप से पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन तथा डोर स्टेप डिलेवरी कार्यक्रम का भी सम्पूर्ण दायित्व बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को सौंपा गया, जिसका क्रियान्वयन निगम के स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ किया जा रहा है। उपर्युक्त के अनुरूप बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गोदामों से जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान तक डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत जी0पी0एस0 एवं लोड सेल युक्त वाहनों से खाद्यान्न पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में टी0पी0डी0एस0 गोदाम/एफ0सी0आई0 डिपो/सी0एम0आर0 डिपो पर जियो फेंसिंग किया गया है, जिससे खाद्यान्न की कालाबाजारी की संभावना न्यून हो गई है। इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के तहत स्थापित व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के लिए कुशल तकनीकी युक्त पदाधिकारी/कर्मों के अतिरिक्त इसके अनुश्रवण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए पृथक व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है, ताकि खाद्यान्नों को लाभुकों तक पहुँचाने में विचलन की समस्या को समाप्त किया जा सके। इसलिए

a

यह आवश्यक है कि वर्तमान दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रत्येक कार्य के लिए कार्यकुशल कर्मी एवं निगम को अत्याधुनिक तकनीकी रूप से सम्पन्न बनाने के साथ सम्प्रति सौंपी गयी सभी व्यवस्थाओं गोदामों आदि के सुचारु रूप से संचालन, प्रभावी पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

4. निगम में पूर्व से सहायक प्रबंधक/लेखापाल/निम्नवर्गीय लिपिक कार्यरत हैं। निगम में वर्ष 2024 में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद के माध्यम से सहायक प्रबंधक/सहायक लेखा पदाधिकारी/लेखापाल /निम्नवर्गीय लिपिक/गुणवत्ता नियंत्रक की नियुक्ति हुई है, जिनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के निष्पादन कराने एवं उनके कौशल विकास हेतु उनके प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

5. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम का पत्रांक-1511 दिनांक 24.06.2025 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सूचित किया गया है कि निगम निदेशक पर्वद के 183वीं बैठक दिनांक 12.06.2025 के मद संख्या-183.16 में निम्न निर्णय लिया गया —

"Upon discussion, the Board considered the recommendation to establish Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT at the third and fourth floor of the multi-purpose building of SFC, located in R.Block, Patna and to establish a laboratory under the institute to undertake the work of quality testing of food grains, laboratory research and Investigation in the above Training Institute subject to its approval from the State Government, Bihar."

उक्त के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० के बहुदेशीय भवन के तीसरे एवं चौथे तल पर Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -(BIGSMT) की स्थापना करने एवं संस्थान के अधीन खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जाँच, प्रयोगशाला अनुसंधान एवं जाँच कार्य हेतु प्रयोगशाला की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर बिहार सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

6. बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि० द्वारा किये गये उक्त अनुरोध के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के एक इकाई के रूप में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -BIGSMT) की स्थापना आर०ब्लॉक अवस्थित 'बहुदेशीय भवन', पटना के रिक्त तृतीय एवं चतुर्थ तल में किया जाना है।

(क) उक्त प्रशिक्षण संस्थान के अधीन भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना, डब्ल्यू०बी०एन०पी० इत्यादि योजनाओं के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों एवं फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना किया जाना है।

(ख) राज्य स्तरीय प्रयोगशाला— उच्च स्तरीय खाद्यान्न यथा— फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) इत्यादि की जाँच, शोध एवं अनुसंधान हेतु एन०ए०बी०एल० (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला का स्थापना किया जाना है, ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।

7. बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के एक संस्थागत इकाई के रूप में कार्य करेगा एवं बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड का निदेशक पर्वद बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की शासी परिषद् (Governing Council) के रूप में कार्य करेगा एवं निदेशक,

बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। उक्त शासी परिषद् की संरचना निम्नवत् होगी :

क्र०सं०	पदनाम	पद
01	प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
02	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, बिहार, पटना	सदस्य
03	प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
04	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।	सदस्य
05	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि	सदस्य
06	निदेशक, बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना	सदस्य-सचिव

उक्त संस्थान के संचालन से संबंधित मार्गदर्शिका परिशिष्ट-‘क’ के रूप में संलग्न है।

8. बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) के प्रशासनिक संरचना के गठन हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या-270, दिनांक 09.09.2025 परिशिष्ट-‘ख’ द्वारा निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गई है-

(क) बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna-BIGSMT) के प्रशासनिक संरचना के गठन हेतु कुल 19 पदों की स्वीकृति की आवश्यकता है जो निम्नवत् है :-

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	पद की सं०
1	निदेशक (सं०सं० या उच्चतर पद)	PB-3+8700/- Level-13	01
2	संयुक्त निदेशक (बि०प्र०सं० के अपर समाहर्ता/ राज्य खाद्य निगम के संवर्गीय)	PB-3+7600/- Level-12	04
3	उप निदेशक (जिला आपूर्ति पदाधिकारी के समकक्ष, बिहार आपूर्ति सेवा/जिला प्रबंधक संवर्ग)	PB-3+6600/- Level-11	06
4	प्रधान लिपिक	PB-2+4200/- Level-6	02
5	निम्न वर्गीय लिपिक	PB-1+1900/- Level-2	04
6	आशुटकक	PB-1+2400/- Level-4	02
	कुल		19

उपर्युक्त तालिका के क्रम सं० 01, 02, 04, 05 एवं 06 में अंकित पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का पदस्थापन किया जाएगा एवं क्रम संख्या-03 में अंकित उप निदेशक पद के 06 पदों में से 03 पदों पर विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी समकक्षीय एवं 03 पदों पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के नियंत्रणाधीन सहायक प्रबंधक संवर्ग के पदाधिकारियों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी।

उक्त पदों के अतिरिक्त 18 अन्य पदों यथा-सहायक प्रबंधक के 08 पद, कोर्स कॉडिनेटर (सहायक प्रबंधक संवर्ग) के 04 पद एवं सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण/गुणवत्ता नियंत्रक (प्रयोगशाला) के 06 पदों पर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारी/कर्मि प्रतिनियुक्त होंगे, जिसके लिए निगम के अधीन पद का सृजन किया जाता है।
(ख) वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-05(ड) में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना गठन के आलोक में आउटसोर्स के आधार पर भी निम्नवत् पदों की स्वीकृति है :-

क्र०सं०	पद का नाम	औसत मानदेय (रूपये में)	पद की सं०
1	लैब टेकनिशियन	28,000	02
2	कार्यपालक सहायक	25,243	08
3	कार्यालय परिचारी/रात्रि प्रहरी	18,933	10
	कुल		20

(ग) निगम के पदाधिकारी/कर्मियों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु अतिथि प्रशिक्षक को नियत अनुमानित मानदेय ₹ 2500/- प्रति सत्र के अनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

9. अतः वर्णित स्थिति में निम्नवत् प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्रदान की गई है -

(क) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन आपूर्ति सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के एक इकाई के रूप में बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -BIGSMT) की स्थापना।

(ख) बिहार खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, पटना (Bihar Institute of Grain Storage Management and Training, Patna -BIGSMT) के प्रशासनिक संरचना के गठन तथा वार्षिक वित्तीय व्यय- ₹ 4,64,94,396 (चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये) पर पदों की स्वीकृति।

(ग) उक्त प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना, डब्ल्यू0बी0एन0पी0 इत्यादि योजनाओं के खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला एवं उच्च स्तरीय खाद्यान्न यथा- फोर्टिफायड राईस कर्नेल (FRK) इत्यादि पर शोध एवं अनुसंधान हेतु एन0ए0बी0एल0 (NABL) मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना।

10. उक्त मद में राशि का व्यय हेतु नया बजट शीर्ष खोलते हुए द्वितीय अनुपूरक/तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से राशि का उपबंध कराया जा सकेगा।
11. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 09.09.2025 को मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है (संचिका संख्या-प्र0 12 (नि0)-43/2025/20/टि0)।

09.09.2025
(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव।

आदेश :- अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाए।

09.09.2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294 खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025
प्रतिलिपि- ई-गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

09.09.2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294 खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025
प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.09.2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294 खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालय/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को सूचित करें।

09.09.2025
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294

खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि- बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष/सभी सदस्यों/सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.09.2025
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294

खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.09.2025
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294

खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि- विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा-05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09.09.2025
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक-प्र0-12 (नि0)-43/2025 2294

खाद्य, पटना/दिनांक- 09/09/2025

प्रतिलिपि - आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

09.09.2025
प्रधान सचिव ।